16.06.2026

अपीलार्थी–अभियुक्त सोनू मय अधिवक्ता श्री मनीष तंवर व प्रत्यर्थी–परिवादी संख्या–2 कैलाश चन्द गुर्जर मय अधिवक्ता श्री गुमान सिंह यादव उपस्थित। प्रत्यर्थी संख्या–1 राज्य सरकार की ओर से विद्वान लोक अभियोजक श्री जे.पी.शर्मा उपस्थित।

पत्रावली आज मध्यस्थता हेतु प्रेषित की गई, जो दोनों पक्षकारान के राजीनामा होने से पुनः प्राप्त हुई।

अपीलार्थी–अभियुक्त सोनू व प्रत्यर्थी–परिवादी कैलाश चन्द गुर्जर ने उपस्थित होकर लोक अदालत की भावना से संयुक्ततः राजीनामा का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विद्वान विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) संख्या–3, अजमेर द्वारा दिनांक 21.03.2025 को अपीलार्थी–अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित किया गया था, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी–अभियुक्त द्वारा इस न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी। उक्त अपील में अपीलार्थी–अभियुक्त व परिवादी–प्रत्यर्थी के मध्य विवादित चैक को लेकर लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है। दोनों पक्षकारान के मध्य विवादित चैक को लेकर कोई लेन–देन शेष नहीं है, न ही विवाद शेष है। अतः राजीनामा के आधार पर अपील का निस्तारण किया जावें। अपीलार्थी–अभियुक्त व प्रत्यर्थी–परिवादी की ओर से प्रस्तुत राजीनामा की इबारत उपस्थित पक्षकारान को पढ़कर सुनाई व समझाई गई, जो सुन समझकर उभयपक्षों ने स्वैच्छा से सही होना स्वीकार किया। प्रार्थना–पत्र की पुश्त पर पृथक से राजीनामा तस्दीक किया गया, जो शामिल पत्रावली रहे।

दोनों पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

दोनों पक्षों की ओर से लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो जाने से, पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत राजीनामा बाद जांच तस्दीक किया गया। पक्षकारान की ओर से निवेदन किया गया कि चैक में वर्णित सम्पूर्ण राशि प्रत्यर्थी–परिवादी संख्या–2 द्वारा अपीलार्थी–अभियुक्त से प्राप्त कर ली गई है। पक्षकारान के मध्य अब कोई विवाद शेष नहीं होना बताया गया है। पक्षकारान लोक अदालत की भावना से राजीनामा के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में जरिये राजीनामा अपील का निस्तारण किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से हुए राजीनामा के आधार पर विद्वान विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) संख्या–3, अजमेर द्वारा आपराधिक प्रकरण संख्या 1276/2021 कैलाश चन्द गुर्जर बनाम सोनू में पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 21.03.2025 को अपास्त किया जाकर, अपीलार्थी–अभियुक्त सोनू पुत्र छोटू लाल सैन, द्वारा श्री विनोद पारीक, निवासी आम का तालाब शक्ती नगर यादव की चक्की के पास, अजमेर को अपराध अंतर्गत धारा 138 एन.आई.एक्ट के आरोप से जरिये राजीनामा दोषमुक्त किया जाता है। विद्वान विचारण न्यायालय में यदि कोई राशि जमा हो तो वह नियमानुसार परिवादी को बाद आवश्यक कार्यवाही अदा की जावे। आदेश की एक प्रति के साथ संबंधित न्यायालय की पत्रावली शीघ्र प्रेषित की जावे। सी.आई.एस.में इन्द्राज किया जावें। पत्रावली अंतिम निस्तारण हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत में दिनांक 12.09.2026 को पेश हो।

(विक्रान्त गुप्ता)
सेशन न्यायाधीश, अजमेर

16.06.2026

अपीलार्थी–अभियुक्त सोनू मय अधिवक्ता व प्रत्यर्थी–परिवादी कैलाश चन्द गुर्जर मय अधिवक्ता के उपस्थित होकर यह राजीनामा पेश किया। अपीलार्थी–अभियुक्त सोनू की पहचान अधिवक्ता श्री मनीष तंवर ने की। प्रत्यर्थी–परिवादी कैलाश चन्द गुर्जर की पहचान अधिवक्ता श्री गुमान सिंह यादव ने की। उभय पक्षों को राजीनामे की इबारत पढ़कर सुनाई व समझाई गई, जो उन्होंने स्वेच्छा से सही होना स्वीकार किया एवं कोई विवाद शेष नहीं होना प्रकट किया। साथ ही अपील का निस्तारण लोक अदालत की भावना से किये जाने का निवेदन किया। अतः राजीनामा तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल पत्रावली रहे।

(विक्रान्त गुप्ता)
सेशन न्यायाधीश, अजमेर